

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
100	ता.प्र.सं.15 (क्र.442) दि.25.02.2015 (श्री सुदर्शन गुप्ता)	एम.वाय. चिकित्सालय इंदौर में उपचार हेतु लाये जाने वाले कैदियों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त पुलिस बल की पदस्थी कराई जाना ।	कैदियों की सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस बल पदस्थ किये जाने हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर द्वारा स्थानीय पुलिस को लिखा गया है।		
101	परि.ता.प्र.सं.07 (क्र.227) दि.25.02.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	राज्य बीमारी सहायता निधि से रायसेन जिले की तहसील बेगमगंज के अंतर्गत निवास करने वाले रोगियों के उपचार हेतु शीघ्र सहायता राशि स्वीकृत कराई जाकर उपचार कराया जाना ।	(1) स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी । (2) प्रावधान अनुसार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है, उक्त प्रकरणों का निराकरण 15 दिवस में कर दिया जावेगा ।		
102	परि.ता.प्र.सं.23 (क्र.852) दि.25.02.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों/ औषधालयों में पदस्थ चिकित्सकों/ चिकित्साकर्मियों की कार्यस्थल से अनुपस्थिति की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	तीन चिकित्सकों के सेवा समाप्त किए जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है । शेष के संबंध में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जावेगी ।		
103	परि.ता.प्र.सं.27 (क्र.978) दि.25.02.2015 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा जिला चिकित्सालय के ट्रामा सेंटर हेतु पैरामेडिकल स्टाफ एवं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था कराई जाना ।	पैरामेडिकल स्टाफ के पद सृजित कराने की कार्यवाही प्रचलन में है । उपकरणों की व्यवस्था की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र.1099) दि.25.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैराठ में पदस्थ चिकित्सक के अभ्यावेदन का शीघ्र निराकरण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	डॉ.मोर्य के अभ्यावेदन के निराकरण की प्रक्रिया संचालनालय स्वा.सेवायें स्तर पर प्रचलन में है । प्रकरण का निराकरण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
105	परि.ता.प्र.सं.40 (क्र.1214) दि.25.02.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	(1) जिला चिकित्सालय, श्योपुर में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था न करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही किया जाना । (2) प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलिसिस मशीनों की प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था कराई जाना ।	(1) समय पर कार्यवाही न करने के कारण सिविल सर्जन, श्योपुर को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है । (2) प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में हिमोडायलिसिस मशीन स्थापित करने की प्रक्रिया प्रचलन में है ।		
106	परि.ता.प्र.सं.44 (क्र.1332) दि.25.02.2015 (श्री जितू पटवारी)	प्रदेश के विभिन्न जिला चिकित्सालयों में विगत तीन वर्षों में विकेन्द्रीयकृत क्रय नीति का उल्लंघन कर बिना सक्षम स्वीकृति के निर्धारित प्रतिशत से अधिक क्रय किये जाने की जांच कराई जाकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	20 प्रतिशत से अधिक राशि का क्रय बिना सक्षम अनुमति के जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है उनकी जांच की जायेगी एवं जांच में दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जायेगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
107	परि.ता.प्र.सं.70 (क्र.1799) दि.25.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	जिला चिकित्सा अधिकारी, रीवा द्वारा वर्ष 2011 से की गई नियुक्तियों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	जांच की कार्यवाही प्रचलन में है । गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
108	अता.प्र.सं.04 (क्र.108) दि.25.02.2015 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिले में भवन विहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण कराया जाना ।	यथाशीघ्र ।		
109	अता.प्र.सं.38 (क्र.1084) दि.25.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना ।	संचालनालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है । शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा ।		
110	अता.प्र.सं.57 (क्र.1386) दि.25.02.2015 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले में महिलाओं/पुरुषों की नसबंदी के फेल प्रकरणों में मुआवजा हेतु शेष हितग्राहियों को नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराया जाना ।	शेष प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा ।		
111	अता.प्र.सं.63 (क्र.1541) दि.25.02.2015 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलकिसगंज, जिला सीहोर में रेडियोग्राफर के पद का सृजन कर रेडियोग्राफर की नियुक्ति किया जाना ।	वर्तमान में रेडियोग्राफर का पद सृजित करने की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
112	ता.प्र.सं.13 (क्र.1418) दि.25.02.2015 (श्री तरुण भनोत)	जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महर्षि विद्या मंदिर क्र. 01 नर्मदा रोड जबलपुर द्वारा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का पालन न किये जाने की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।		
113	ता.प्र.सं.14 (क्र.1361) दि.25.02.2015 (श्री राजेश सोनकर)	उच्च शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ तत्कालीन संयुक्त संचालक के विरुद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) श्री एस.बी.सिंह शिक्षा विभाग में उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत होने के कारण जांच प्रतिवेदन आगामी कार्यवाही हेतु श्री सिंह के पैतृक विभाग उच्च शिक्षा विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है । (2) उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना है । निर्णय लिये जाने के बाद अवगत कराना संभव हो सकेगा ।		
114	परि.ता.प्र.सं.21 (क्र.823) दि.25.02.2015 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	इंदौर एवं उज्जैन संभाग के निजी विद्यालयों में निर्धारित अर्हताधारी शिक्षकों से अध्यापन कार्य कराया जाना ।	संबंधित विद्यालयों को लिखा जायेगा कि वे निर्धारित अर्हता वाले शिक्षकों को ही उनके विद्यालय में अध्यापन हेतु रखें ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
115	परि.ता.प्र.सं.33 (क्र.1078) दि.25.02.2015 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले में प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) अनुभाग-भिण्ड एवं कोषालय अधिकारी भिण्ड से जांच कराई जा रही है ।		
116	परि.ता.प्र.सं.72 (क्र.1816) दि.25.02.2015 (श्री लखन पटेल)	दमोह जिले के शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण न करने के दोषी ठेकेदार के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	शासकीय हाईस्कूल रियाना के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार को नोटिस जारी कर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।		
117	परि.ता.प्र.सं.80 (क्र.1902) दि.25.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	(1) सतना जिले के मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था कराई जाना । (2) मैहर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित शासकीय विद्यालयों की भूमि पर हुये अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाते हुये अतिक्रमकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	(1) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा शौचालय हेतु विभिन्न स्रोतों से व्यवस्था जुटाने की कार्यवाही की जा रही है । (2) अतिक्रमण हटाये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लेख किया गया है ।		
118	अता.प्र.सं.11 (क्र.428) दि.25.02.2015 (कुंवर सौरभ सिंह)	नियम विरुद्ध स्वयं के उपयोग हेतु शासकीय खाते से धन राशि का आहरण किये जाने की शीघ्र जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	प्रकरण की जांच जिला शिक्षा अधिकारी, कटनी से करवाई जा रही है । जांच परिणाम के आधार पर उत्तरदायित्व का निर्धारण एवं नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
119	अता.प्र.सं.13 (क्र.505) दि.25.02.2015 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	प्रदेश के हाई स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्यवाही किया जाना ।	हाईस्कूल के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
120	अता.प्र.सं.23 (क्र.793) दि.25.02.2015 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के जावरा स्थित शासकीय काटजू हाई स्कूल की प्राचार्या के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	उत्तर में संबंधित के विषय में तथ्य परस्पर उद्धरत हो जाने के संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पृथक से जांच की जा रही है ।		
121	अता.प्र.सं.40 (क्र.1111) दि.25.02.2015 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के पोहरी विधान सभा क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण न करने की दोषी एजेंसी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण शीघ्र कार्यवाही किया जाना ।	धारा 40/92 का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है ।		
122	अता.प्र.सं.54 (क्र.1354) दि.25.02.2015 (श्री रणजीत सिंह गुणवान)	प्रदेश में औपचारिकतर शिक्षा के अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों को संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रदान किया जाना ।	कार्यवाही की जा रही है । यथाशीघ्र ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
123	अता.प्र.सं.55 (क्र.1369) दि.25.02.2015 (श्री राजेश सोनकर)	जिला शिक्षा अधिकारी मंदसौर के आदेश दिनांक 08.11.2014 की अवहेलना करने वाली शिक्षिका के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		
124	अता.प्र.सं.67 (क्र.1589) दि.25.02.2015 (श्री दिनेश राय "मुनमुन")	जबलपुर संभाग में समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शेष छात्रों को समेकित छात्रवृत्ति की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाकर वितरण कराया जाना ।	2013-14 में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति हेतु शेष रहे, जिन्हे स्थानीय निकायों द्वारा आई.डी. दी जाकर मेपिंग से जोड़ा जाकर छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
125	परि.ता.प्र.सं.59 (क्र.1638) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	विदिशा जिले के कुरवाई नगर में स्थित वक्फ इस्लामिया मदरसा की मूल्यवान भूमि का निजी भूमि से विनिमय किये जाने की जांच कराई जाकर दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	परीक्षण किया जा रहा है ।		
126	परि.ता.प्र.सं.61 (क्र.1641) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	उज्जैन जिले के ग्राम कलियादेह स्थित वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन की भूमि का डि-नोटिफिकेशन किये जाने के प्रकरण की जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही किया जाना ।	ऐसा मामला वक्फ बोर्ड द्वारा शासन के ध्यान में लाया गया, जो कि परीक्षणाधीन है ।		
127	अता.प्र.सं.70 (क्र.1646) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा वर्ष 2013 में उज्जैन स्थित वक्फ दरगाह बुहारूद्दीन ग्राम कलियादेह की वक्फ सम्पत्ति को नियम विरुद्ध डि-नोटिफाई कराई जाने के प्रकरण में वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, शासन स्तर पर इसका परीक्षण किया जा रहा है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
128	अता.प्र.सं.71 (क्र.1647) दि.25.02.2015 (श्री आरिफ अकील)	मध्यप्रदेश में वक्फ सम्पत्तियों की अवैध हेरा-फेरी, घोटाले एवं भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरणों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना ।	प्राप्त सभी प्रस्तावों में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों यथा श्री एस.यू.सैयद,(राप्रसे) के विरुद्ध सामान्य प्रशासन विभाग, श्री एस.एम.एच.जैदी, के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पशुपालन विभाग, अनुशासनात्मक प्राधिकारी होने पर उनके द्वारा जांच कार्यवाही के प्रस्ताव भेजे जाने पर उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है । श्री दाऊद अहमद खान, उप संचालक, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के विरुद्ध दिनांक 02.07.2014 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

आदिम जाति कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
129	ता.प्र.सं.06 (क्र.1759) दि.25.02.2015 (कुंवर विक्रम सिंह)	छरतपुर जिले के राजनगर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम रैपुरा चनाटी मौटा चौकन के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित कराते हुये भू-अधिकार पत्र प्रदाय किया जाना ।	(1) वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रचलन में है । (2) वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन हेतु डि-नोटिफिकेशन की कार्यवाही की जा रही है ।		
130	अता.प्र.सं.01 (क्र.67) दि.25.02.2015 (श्री मुकेश नायक)	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वनवासियों को लघु वनोपजों के दोहन का अधिकार प्रदान किया जाना ।	प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जा रही है।		
131	अता.प्र.सं.02 (क्र.76) दि.25.02.2015 (श्री मुकेश नायक)	वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक निस्तार के वन अधिकार हितग्राहियों को प्रदान किया जाना ।	परिभाषितनिस्तार के अधिकारों की मान्यता अनुसार कार्यवाही की जा रही है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
132	अता.प्र.सं.79 (क्र.1805) दि.25.02.2015 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा संभाग में जिला संयोजकों के पदों पर नियमित अधिकारियों का पदांकन किया जाना ।	नियमित अधिकारियों की पदस्थापना की कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

श्रम विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
133	अता.प्र.सं.88 (क्र.1900) दि.25.02.2015 (श्री बाला बच्चन)	छतरपुर जिले में विभागीय छात्रवृत्ति में अनियमितता के दोषी श्रमपदाधिकारी के विरुद्ध शीघ्र जांच पूर्ण कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना ।	श्रमपदाधिकारी, छतरपुर को निलंबित किया गया है, जिस पर जांच कार्यवाही प्रचलन में है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
फरवरी-मार्च 2015, सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची

चिकित्सा शिक्षा विभाग

दिनांक 25.02.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
134	अता.प्र.सं.89 (क्र.1908) दि.25.02.2015 (श्री नारायण त्रिपाठी)	सुल्तानिया जनाना अस्पताल में नियम विरुद्ध क्रय करने के दोषी चिकित्सकों/ कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना।	(1) तीन चिकित्सकों एवं दो कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित की गई है, जो प्रक्रियाधीन है। (2) अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा विभागीय जांच की कार्यवाही कराई जा रही है।		